(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 42/2019-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 24 सितंबर, 2019

सा.का. नि. ....(अ) - केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 24 सितंबर, 2019 को उस तारीख के रुप में, जिसको केंद्रीय माल और सेवा कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2019 (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3 उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 457 (अ) तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 31/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019) के नियम 10, नियम 11, नियम 12 और नियम 26 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है ।

(फा.सं. 20/06/12/2018-जीएसटी)

(रुचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार